कर्नाटक राज्य

बनाम

राजू

सितंबर 14,2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और पी. पी. नौलेकर, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860; धारा 376: 12 साल से कम उम्र की नाबालिग के साथ बलात्कार-विचारण निचली अदालत ने आरोपी को दंडनीय अपराध का दोषी पाया और धारा s.376 में 7 साल की सजा। उच्च न्यायालय द्वारा सजा घटाकर साढ़े तीन साल कर दी गई-अपील पर, आयोजितः बलात्कार के मामले में सजा का पैमाना आरोपी के आचरण, पीड़ित की उम्र एवं स्थिति और आपराधिक कृत्य की गंभीरता पर निर्भर होना चाहिए। महिलाओं के साथ हिंसा के अपराध से गंभीरता से निपटने की आवश्यकता है-बलात्कार के मामले में, धारा 376 (2) किसी सजा को अधिरोपित करने में विधायी अधिदेश को दर्शाता है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार, सजा में कठोरता के इरादे को दर्शाता है-सजा देने की प्रणाली को संचालित करने में, कानून को सुधारात्मक तंत्र या तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आधार पर प्रतिरोध को अपनाना चाहिए-मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और कानून के प्रावधानों को ध्यान में रखते

हुए, उच्च न्यायालय द्वारा किसी विशेष और पर्याप्त कारण को निर्दिष्ट किए बिना सजा में कमी, अस्थिर है और इस प्रकार, विचारण अदालत द्वारा लगाई गई सजा को दरकिनार कर दिया जाता है और सजा बहाल की जाती है।

अपराध और सजा के बीच का अनुपात-सजा के संदर्भ में चर्चा की गई। प्रावधान-सजा सुनाने के संदर्भ में चर्चा की गई यू / s.376 आई. पी. सी.

एक 12 साल से कम उम्र की एक लड़की का आरोपी-प्रतिवादी द्वारा कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और पुलिस द्वारा मामले की जांच की गयी। जाँच पूरी होने पर पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया गया। विचारण अदालत द्वारा आरोपी को आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया गया। अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गई थी। जिसका उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए निस्तारण किया गया था लेकिन सजा को घटाकर साढ़े तीन साल कर दिया गया था। इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में, उच्च न्यायालय द्वारा कुछ परिस्थितियों का उल्लेख करके सजा को कम करना उचित नहीं था जो न केवल अप्रासंगिक हैं बल्कि सजा में कमी के लिए विशेष कारण भी नहीं हो सकते हैं।

न्यायमित्र ने कहा कि हालांकि बलात्कार का अपराध एक जघन्य अपराध है लेकिन किसी अभियुक्त को सजा सुनाते समय उसके साथ नरमी बरती जानी चाहिए। यद्यपि विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसी याचिका नहीं ली गई थी, उच्च न्यायालय ने कुछ कारणों का संकेत दिया जो सजा में कमी को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, फिर भी चूंकि उसने न्यायिक विवेक का प्रयोग किया है, इसलिए हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है; और यह नीचे के दोनों न्यायालयों ने नोट किया है कि पीड़ित की आयु लगभग 10 वर्ष थी, और ऐसे मामले में, आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (च) के संदर्भ में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि

1.1. धारा 376 आई. पी. सी. की उप-धारा (2) में और अधिक कठोर सजा उक्त उपधारा में बतायी गयी विशेष विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए दी जा सकती है। वर्तमान मामला आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (च) के अंतर्गत आता है अर्थात जब किसी महिला के साथ तब बलात्कार किया जाता है जब वह 12 वर्ष से कम उम्र की होती है। मान लीजिए कि अपराध के समय पीड़ित की आयु 10 वर्ष थी। [पैरा 7] [975-सी]

1.2. यह निर्माण का एक मौलिक नियम है कि एक परंतुक होना चाहिए, उस प्रमुख मामले के संबंध में माना जाता है जिसके लिए यह

विशेष रूप से दंडात्मक प्रावधानों जैसे प्रावधानों में एक परंतुक के रूप में खड़ा है। अदालतें ऐसे सभी मामलों में सजा देने के मामले में विधायी जनादेश का सम्मान करने के लिए बाध्य हैं। परंतुक का सहारा केवल "विशेष और पर्याप्त कारणों"के लिए लिया जा सकता है न कि आकस्मिक तरीके के लिये। क्या कोई "विशेष और पर्याप्त कारण"मौजूद हैं, यह विभिन्न कारकों और प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। सार्वभौमिक अनुप्रयोग हेतू कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। [पैरा 9] [976-बी, सी।

यह दिनेश उर्फ बुद्ध बनाम राजस्थान राज्य, [2006] 3 एस. सी. सी. 771 पर, निर्भर था।

2.1. बलात्कार के मामले में सजा का पैमाना पीड़ित या आरोपी की सामाजिक स्थिति पर निर्भर नहीं किया जा सकता है। यह अभियुक्त के आचरण, यौन उत्पीडन की शिकार महिला की स्थिति और आयु तथा आपराधिक कृत्य की गंभीरता पर निभर्र होना चाहिए।

महिलाओं पर हिंसा के अपराधों से सख्ती से निपटने की जरूरत है। [पैरा 8] [975-डी, ई [2007] 9 एस. सी. आर.

2.2. न्यायालय द्वारा उचित सजा का प्रावधान अपराध के प्रति सार्वजनिक घृणा को लागू करने के माध्यम से प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। अभिलेख पर ऐसी कोई विस्तारित या कम करने वाली

परिस्थितियाँ उपलब्ध नहीं हैं जो प्रतिवादी पर निर्धारित न्यूनतम से कम सजा को उचित ठहरा सकें।। तथा इस तरह की इस तरह के जघन्य अपराध के मामले में दया दिखाना न्याय और याचिका का उपहास होगा। उदारता पूरी तरह से गलत है। [पैरा 8] [975-एफ, जी]

2.3. 12 वर्ष से कम आयु की लड़की से बलात्कार के अपराध के लिए सजा देने का विधायी आदेश- जिसकी अवधि दस साल से कम नहीं होगी लेकिन जिसे जीवन तक बढाया जा सकता है और जुमार्ना भी लगाया जा सकता है जो सजा की कठोरता के इरादे को दर्शाता है। [पैरा 9] [975-जी; 976-ए]

2.4. सजा देने की प्रणाली के संचालन में, कानून को तथ्यातक मैट्रिक्स के आधार पर सुधारात्मक मशीनरी या निवारण को अपनाना चाहिए। चतुराइ से सजा देने की प्रक्रिया जहां होनी चाहिए वहां कठोर होनी चाहिए और जहां आवश्यक हो वहां दया को संयमित होना चाहिए। प्रत्येक मामले में तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अपराध की प्रकृति, जिस तरीके से इसकी योजना बनाई गई और उसे अंजाम दिया गया, अपराध करने का उद्देश्य, अभियुक्त का आचरण, अपराध के लिए प्रयुक्त हथियार की प्रकृति और अन्य सभी उपस्थित परिस्थितियाँ प्रासंगिक तथ्य हैं जो विचार के क्षेत्र में प्रवेश करेगा। [पैरा 11] [976-एफ, जी]

सेवक पेरुमल आदि बनाम तमिलनाडु राज्य, [1991] 3 एस. सी. सी. 471, पर निर्भर था। फ्रीडमैन द्वारा लिखित लॉ इन चेंजिंग सोसाइटी में उल्लेख किया गया है।

2.5. यह सिद्धांत है कि अपराध और सजा के बीच का अनुपात एक ऐसा लक्ष्य है जिसका सम्मान किया जाता है और गलत धारणाओं के बावजूद, यह सजा के निर्धारण में इसका मजबूत प्रभाव बना हुआ है। [पैरा 14] [977-डी, ई]

2.6. प्रत्येक मामले में तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित विचार करने के बाद किसी अपराध के लिए दी जाने वाली न्यायसंगत और उचित सजा का निर्णय करने के लिए न्यायालय द्वारा उन उत्तेजक और कम करने वाले कारकों और परिस्थितियों को, जिनमें अपराध किया गया है, को वास्तव में प्रासंगिक परिस्थितियों के आधार पर निष्पक्ष तरीके से सूक्ष्मता से संतुलित किया जाना चाहिए। [पैरा 15] [977-जी, एच]

डेनिस काउंसल एम सी जी डाउथा बनाम कैलीफोरनिया राज्य, 402 यू. एस. 183: 28 एल. डी., पर आधारित।

2.7. किसी भी अचूक सूत्र के अभाव में जो कोई भी आधार प्रदान कर सकता है, अपराध की गंभीरता पर विचार करने के लिए विभिन्न परिस्थितियों का सही आकलन करने के लिए उचित मानदंडों के लिए, प्रत्येक मामले के तथ्यों में विवेकाधीन निर्णय ही एकमात्र तरीका है जिसमें

ऐसे निर्णय को समान रूप से अलग किया जा सकता है। (पैरा 15] [978-ए, बी]

शैलेश जसवंतभाई और अन्र। बनाम गुजरात राज्य और अन्य, [2006] 2 एस. सी. सी. 359, पर अभिनिर्धारित

3. कानूनी स्थिति पर विचार करते हुए और किसी भी कारण के अभाव में जो उच्च न्यायालय द्वारा सजा में की गई कमी को "विशेष और पर्याप्त कारण"के रूप में माना जा सकता था जो स्पष्ट रूप से अस्थिर है। विचारण अदालत को आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (एफ) के तहत 10 साल की सजा सुनानी चाहिए थी। हालाँकि, चूंकि राज्य ने सजा पर सवाल नहीं उठाया है, इसलिए विचारण अदालत द्वारा लगाई गई सजा को बहाल कर दिया जाता है। [पैरा 17] [978-सी, डी]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं. 782/2001

1995 की आपराधिक अपील संख्या 825 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के 11.02.2000 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से संजय आर. हेगड़े।

प्रत्यर्थी की ओर से अशोक भान और एस. वसीम ए. कादरी।

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1. इस अपील में कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें प्रतिवादी की हिरासत की सजा को सात साल के बजाय साढे तीन वर्ष तक कम कर दिया गया है, जैसा कि एससी में विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुलबर्गा द्वारा लगाया गया था। संख्या 61/1993, प्रतिवादी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में'आईपीसी') की धारा376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराने के बाद पीड़िता (पीडब्लू1) की उम्र 12 वर्ष से कम थी जब 31.1.1993 को लगभग 12.30 बजे प्रतिवादी द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया गया था।

2. थाने में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में 'एफआईआर') के आधार पर कानून लागू किया गया। जांच पूरी होने पर, आरोप पत्र दायर किया गया और आरोपी को मुकदमे का सामना करना पड़ा और उसने खुद को निर्दोष बताया। अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य पर भरोसा जताया। विचारण न्यायालय ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए इसका निपटारा कर दिया, लेकिन सजा को घटाकर साढे तीन वर्ष कर दिया गया, क्योंकि उच्च न्यायालय ने महसूस किया कि कुछ विशेष कारणों के मद्देनजर हिरासत की सजा को घटाकर साढे तीन वर्ष किया जाना चाहिए।

3. अपील के समर्थन में, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में उच्च न्यायालय द्वारा कुछ परिस्थितियों का हवाला देकर सजा को कम करना उचित नहीं था, जो न केवल अप्रासंगिक हैं, बल्कि सजा कम करने के लिए विशेष कारण भी नहीं बन सकते हैं। चूँकि नोटिस की तामील के बावजूद इस अपील में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था, श्री अशोक भान हमारे अनुरोध पर न्याय मित्र के रूप में उपस्थित हुए।

4. विद्वान एमिकस क्यूरी के अनुसार, यद्यपि बलात्कार का अपराध एक जघन्य अपराध है, लेकिन किसी आरोपी को सजा सुनाते समय इसमें दया का भाव होना चाहिए। हालाँकि इस तरह की याचिका विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं ली गई थी, उच्च न्यायालय ने कुछ कारण बताए जो कटौती को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, फिर भी चूंकि उसने न्यायिक विवेक का प्रयोग किया, इसलिए हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 12 वर्ष से कम थी। वास्तव में विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने नोट किया है कि उसकी उम्र लगभग 10 वर्ष थी। जहां पीडिता की उम्र 12 वर्ष से कम है, वहां आईपीसी की धारा 376 (2) (च) के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है ।

5. न्यूनतम सजा 10 साल है लेकिन प्रावधान यह बताता है कि फैसले में उल्लिखित "पर्याप्त और विशेष कारणों"के लिए 10 साल से कम की सजा दी जा सकती है। दुर्भाग्य से ऐसा प्रतीत होता है कि इस पहलू को विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोंनों ने नजरअंदाज कर दिया है और राज्य ने भी उस आधार पर सजा की अपर्याप्तता पर सवाल नहीं उठाया है। उच्च न्यायालय ने सज़ा कम करने के लिए निम्नलिखित बातें कही हैं:

> "अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी 18 साल का एक युवा लड़का है और वह अनपढ़ और देहाती है। हालाँकि वह वास्तव में 18 वर्ष का नहीं है, वह अशिक्षा के कारण अपनी उम्र की दलील नहीं दे सका और इस प्रकार उसने सुधारात्मक कानून का लाभ लेने या निरक्षरता के लिए बोर्स्टल स्कूल आदि में रिमांड मांगने का मौका खो दिया है। अभियुक्त की अज्ञानता को मुकदमे में बचाव न करने का आधार नहीं माना जाना चाहिए और यह कम सजा देने की परिस्थिति है। आरोपी पहले भी 2 साल 11 महीने जेल काट चुका है. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी वड्डारा समुदाय से आने वाला 18 साल का एक युवा लड़का है और अनपढ़ है, मुझे लगता है कि सजा को सात साल

की सश्रम कारावास से घटाकर साढ़े तीन साल की सश्रम कारावास करना उचित और उचित है। अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।"

6. इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि शारीरिक घाव तो ठीक हो सकता है, लेकिन मानसिक घाव हमेशा बना रहेगा। जब एक महिला को अपमानित किया जाता है, तो जो कुछ किया जाता है वह केवल शारीरिक चोट नहीं होती है, बल्कि कुछ मृत्युहीन शर्म की गहरी भावना होती है। एक अभियुक्त किसी जीवाश्म सूत्रपर नहीं टिक सकता है और पुष्ट साक्ष्य पर जोर नहीं दे सकता है, भले ही समग्र रूप से देखा जाए, तो पीड़ित द्वारा बोला गया मामला न्यायिक दिमाग में संभावित रूप से आघात पहुंचाता है। मानवाधिकारों के प्रति न्यायिक प्रतिक्रिया को कानूनी जोडतोड से प्रभावित नहीं किया जा सकता।

7. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आईपीसी की376 की उपधारा (2) में उक्त उपधारा में बताई गई विशेष विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अधिक कठोर सजा दी जा सकती है। वर्तमान मामला आईपीसी की376 (2) (च) के अंतर्गत आता है यानी जब किसी महिला के साथ बलात्कार तब किया जाता है जब वह 12 वर्ष से कम उम्र की हो। माना जाता है कि, मौजूदा मामले में अपराध के समय पीड़िता की उम्र 10 वर्ष थी।

8. बलात्कार के मामले में सज़ा का पैमाना पीड़िता या आरोपी की सामाजिक स्थिति पर निर्भर नहीं हो सकता। यह अभियुक्त के आचरण, यौन उत्पीड़न की शिकार महिला की स्थिति और उम्र और आपराधिक कृत्य की गंभीरता पर निर्भर होना चाहिए। महिलाओं पर हिंसा के अपराधों से सख्ती से निपटने की जरूरत है। सजा नीति में अभियुक्त या पीड़ित की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, धर्म, नस्ल, जाति या पंथ अप्रासंगिक विचार हैं। समाज की सुरक्षा और अपराधी को रोकना कानून का स्वीकृत उद्देश्य है और उचित सजा देकर इसे हासिल करना आवश्यक है। सज़ा सुनाने वाली अदालतों से अपेक्षा की जाती है कि वे सज़ा के सवाल से जुड़े सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करें और अपराध की गंभीरता के अनुरूप सज़ा देने के लिए आगे बढ़ें। इस मामले की तरह, कम उम्र की मासूम, असहाय लड़कियों के साथ बलात्कार के जघन्य अपराध के मामलों में भी अदालतों को समाज द्वारा न्याय के लिए की जाने वाली ऊंची आवाज को सुनना चाहिए और उचित सजा देकर जवाब देना चाहिए। अपराध के प्रति सार्वजनिक घृणा को न्यायालय द्वारा उचित सजा देकर प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। रिकॉर्ड पर ऐसी कोई शमन करने वाली या शमन करने वाली परिस्थितियाँ उपलब्ध नहीं हैं जो प्रतिवादी पर निर्धारित न्यूनतम से कम सजा लगाने को उचित ठहरा सकें। ऐसे जघन्य अपराध के मामले में दया दिखाना न्याय का उपहासहोगा और उदारता की दलील पूरी तरह से गलत है।

9. 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से बलात्कार के अपराध के लिए सजा देने का विधायी आदेश, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे जीवन तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, सजा में कठोरता के इरादे को दर्शाता है।आईपीसी धारा 376 (2)का प्रावधान बेशक, यह तय करता है कि अदालत, निर्णय में उल्लिखित पर्याप्त और विशेष कारणों से, 10 साल से कम अवधि के लिए कारावास की सजा दे सकती है। इस प्रकार, ऐसे मामले में जहां 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ बलात्कार किया जाता है, सामान्य सजा 10 वर्ष से कम की सश्रम कारावास नहीं है, हालांकि असाधारण मामलों में "विशेष और पर्याप्त कारणों से" 10 वर्ष से कम सश्रम कारावास की सजा हो सकती है, दंडित किया जायेगा. यह निर्माण का एक मौलिकनियम है कि मूलधन के संबंध में एक परंतुक पर विचार किया जाना चाहिए। जिस पर यह विशेष रूप से दंडात्मक प्रावधानों जैसे मामलों में एक परंतुक के रूप में खडा है। अदालतें ऐसे सभी मामलों में सजा देने के मामले में विधायी आदेश का सम्मान करने के लिए बाध्य हैं। परंतुक का सहारा केवल "विशेष और पर्याप्त कारणों"के लिए ही लिया जा सकता है, न कि आकस्मिक तरीके से। क्या कोई "विशेष और पर्याप्त कारण"मौजूद हैं, यह विभिन्न कारकों और प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। सार्वभौमिक अनुप्रयोग की दृष्टि से कोई कठोर एवं त्वरित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता।

10. इन पहलुओं को दिनेश अलियास बुद्घ बनाम राजस्थान राज्य [2006 (3) एससीसी 771] में उजागर किया गया था।

11. कानून सामाजिक हितों को नियंत्रित करता है, परस्पर विरोधी दावों और मांगों पर मध्यस्थता करता है। लोगों के व्यक्तियों और संपत्ति की सुरक्षा राज्य का एक आवश्यक कार्य है। इसे आपराधिक कानून के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। निस्संदेह, एक अंतर-सांस्कृतिक संघर्ष है जहां जीवित कानून को नई चुनौतियों का उत्तर ढूंढना होगा और अदालतों को चुनौतियों का सामना करने के लिए सजा प्रणाली को ढालना होगा। अराजकता का संक्रमण सामाजिक व्यवस्था को कमजोर कर देगा और उसे खंडहर बना देगा। समाज की सुरक्षा और आपराधिक प्रवृत्ति पर रोक लगाना कानून का उद्देश्य होना चाहिए जिसे उचित सजा देकर हासिल किया जाना चाहिए। इसलिए, कानून को "व्यवस्था"की इमारत की आधारशिला के रूप में समाज के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए। फ्रीडमैन ने अपने "लॉ इन चेंजिंग सोसाइटी"में कहा कि, "आपराधिक कानून की स्थिति - जैसी होनी चाहिए - समाज की सामाजिक चेतना का एक निर्णायक प्रतिबिंब बनी हुई है"। इसलिए, सजा प्रणाली के संचालन में, कानून को तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आधार पर सुधारात्मक मशीनरी या निवारण को अपनाना चाहिए। चतुराई से सजा देने की प्रक्रिया जहां होनी चाहिए वहां कठोर होनी चाहिए और जहां आवश्यक हो वहां दया

से संयमित होना चाहिए। प्रत्येक मामले में तथ्य और परिस्थितियाँ, अपराध की प्रकृति, जिस तरह से इसकी योजना बनाई गई और प्रतिबद्ध किया गया, अपराध करने का मकसद, अभियुक्त का आचरण, इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रकृति और अन्य सभी परिस्थितियाँ शामिल हैं। प्रासंगिक तथ्य जो विचार के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे।

12. इसलिए, अपर्याप्त सजा देने की अनुचित सहानुभूति न्याय प्रणाली को और अधिक नुकसान पहुंचाएगी, जिससे कानून की प्रभावकारिता में जनता का विश्वास कमजोर होगा और समाज ऐसे गंभीर खतरों के तहत लंबे समय तक टिक नहीं सकता है। इसलिए, यह हर अदालत का कर्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति और जिस तरीके से इसे अंजाम दिया गया या किया गया आदि को ध्यान में रखते हुए उचित सजा दे। सेवका पेरुमल आदि बनाम राज्य मामले में इस अदालत ने इस स्थिति को स्पष्ट रूप से बताया था। तमिलनाडु राज्य(1991 (3) एससीसी 471)।

13. आपराधिक कानून आम तौर पर प्रत्येक प्रकार के आपराधिक आचरण की दोषीता के अनुसार दायित्व निर्धारित करने में आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करता है। यह आम तौर पर न्यायाधीश को प्रत्येक मामले में सजा पर पहुंचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवेक की अनुमति देता है, संभवतः ऐसी सजा की अनुमति देता है जो प्रत्येक मामले के विशेष तथ्यों द्वारा उठाए गए दोषीता के अधिक सूक्ष्म विचारों को प्रतिबिंबित

करते हैं। न्यायाधीश संक्षेप में इस बात की पुष्टि करते हैं कि सज़ा हमेशा अपराध के अनुरूप होनी चाहिए; फिर भी व्यवहार में सजा बड़े पैमाने पर अन्य विचारों से निर्धारित होते हैं। कभी-कभी यह अपराधी की सुधारात्मक आवश्यकताएं होती हैं जो किसी सजा को उचित ठहराने के लिए पेश की जाती हैं। कभी उसे प्रचलन से बाहर रखने की वांछनीयता, तो कभी उसके अपराध के दुखद परिणाम भी। अनिवायर् रूप से सजा देना ये विचार आधार के रूप में केवल रेगिस्तान से प्रस्थान का कारण बनते हैं और स्पष्ट अन्याय के मामले पैदा करते हैं जो गंभीर व व्यापक है।

14. अपराध और सज़ा के बीच अनुपात एक ऐसा लक्ष्य है जिसका सैद्धांतिक रूप से सम्मान किया जाता है, और ग़लत धारणाओं के बावजूद, यह सज़ाओं के निर्धारण में एक मजबूत प्रभाव रखता है। सभी गंभीर अपराधों को समान गंभीरता से दंडित करने की प्रथा अब सभ्य समाजों में अज्ञात है, लेकिन आनुपातिकता के सिद्धांत से इतना बड़ा विचलन हाल के दिनों में ही कानून से गायब हो गया है। अब भी एक भी गंभीर उल्लंघन के लिए कठोर सज़ाएं दी जाती हैं। किसी भी गंभीर अपराध के लिए अधिकतम गंभीरता के दंड से कम की सजा को सहनशीलता का एक उपाय माना जाता है जो अनुचित और मूर्खतापूर्ण है। लेकिन वास्तव में, उन विचारों के अलावा जो अपराध के अनुपात से बाहर होने पर सज़ा को

अनुचित बनाते हैं, समान रूप से अनुपातहीन सज़ा के कुछ बहुत ही अवांछनीय व्यावहारिक परिणाम होते हैं।

15. प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित विचार करने के बाद, किसी अपराध के लिए दी जाने वाली उचित और उचित सजा का निर्णय लेने के लिए, जिन गंभीर और कम करने वाले कारकों और परिस्थितियों में अपराध किया गया है, उन्हें आधार पर नाजुक ढंग से संतुलित किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा निष्पक्ष तरीके से वास्तव में प्रासंगिक परिस्थितियों का। संतुलन बनाने का ऐसा कार्य वास्तव में एक कठिन कार्य है। इसे डेनिस काउंसिल एमसीजीडौथा बनाम कैलिफ़ोर्निया राज्य में बहुत उपयुक्त रूप से इंगित किया गया है(402 यूएस 183: 28 एलडी 2 डी 711) कि फुलप्रूफ प्रकृति का कोई भी फार्मूला संभव नहीं है जो अपराध की गंभीरता को प्रभावित करने वाली अनंत प्रकार की परिस्थितियों में उचित और उचित सजा निर्धारित करने में उचित मानदंड प्रदान कर सके। किसी भी अचूक फार्मूले के अभाव में, जो अपराध की गंभीरता पर विचार करने के लिए विभिन्न परिस्थितियों का सही आकलन करने के लिए उचित मानदंड के लिए कोई आधार प्रदान कर सकता है, प्रत्येक मामले के तथ्यों में विवेकाधीन निर्णय ही एकमात्र तरीका है जिससेइस प्रकार के निणर्य को समान रूप से अलग किया जा सकता है।

16. शैलेश जसवन्तभाई एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य में इन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। [2006 (2) एससीसी 359]।

17. कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए और किसी भी कारण के अभाव में जिसे "विशेष और पर्याप्त कारण"के रूप में माना जा सकता था, उच्च न्यायालय द्वारा की गई सजा में कटौती स्पष्ट रूप से अस्थिर है। विचारण न्यायालय को आईपीसी धारा 376 (2) (च) के तहत 10 साल की सजा देनी चाहिए थी । लेकिन राज्य ने दी गई सज़ा पर सवाल नहीं उठाया है, विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सज़ा बहाल किया जा सकता है। सजा कम करने के हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया गया है।

18. अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विनय डाबी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।